चीनी का मूल्य और उसे निर्धारित करने का मानदण्ड

115. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चीनी का वर्तमान प्रति किलों मूल्य कितना है ; और

(ख) भारत सरकार द्वारा चीनी का मूल्य निर्धारित करने की कसौटी क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). विभिन्न क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा टैरिफ आयोग (1969) द्वारा अभिस्तावित लागत अनुसूचियों और बाद में आयोग द्वारा अभिस्तावित वृद्धि के आधार पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के आधीन निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखा गया है :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया गन्ने का न्यूनतम मूल्य ;

(2) चीनी की निर्माण लागत ;

(3) शुल्क या कर, यदि कोई हो, जबकि उस पर दिया गया हो अथवा दिया जाने वाला हो ;

(4) चीनी के निर्माण विषयक कारोबार में लगाई नयी पूंजी पर उपयुक्त लाभ की प्राप्ति ।

राज्य सरकारें, चीनी के निकासी मूल्य, उत्पादन शुल्क, परिवहन व्यय स्थानीय करों तथा थोक एवं खुदरा व्यापारियों आदि की गुंजाइश को ध्यान में रखने के बाद ही थोक तथा खुदरा मूल्य निर्धारित करती हैं । राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त चीनी के प्रति किलोग्राम खुदरा मूल्यों की राज्यवार स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या L. T. 3286/72]**

3-8-1972 को विभिन्न राज्यों में खुली बिक्री की चीनी के खुदरा मूल्य बताने वाला एक अन्य विवरण भी सभा के पटल पर रखा जाता है **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या L. T. 3286/72]**

Assistance to the Mission Hospitals in the Country

*116. SHRI R. S. PANDEY : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government have given any assistance recently to the Mission Hospitals running in different parts of the country after suspension of aid by some European countries and the U. S. A. ;

(b) if so, the volume of assistance given to these hospitals and whether they are running without any difficulty without the foreign aid ; and

(c) whether there is any proposal to nationalise these hospitals in order to stabilise their functioning without any foreign assistance ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) : (a) and (b). No Sir. Government is, however, giving assistance to medical institutions run by voluntary organisations including Mission Hospitals for certain specific purposes, e. g., essential hospital equipment and for additional construction for expansion of hospital facilities. No assistance for meeting the running expenditure of the hospital is admissible under this scheme.

(c) There is no proposal under consideration of Government to nationalise the Mission Hospitals.

तिब्बती विस्थापितों में क्षय रोगियों का प्रतिशत

*117. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बती विस्थापितों में क्षय-रोगियों का क्या प्रतिशत है ; और

(ख) उनमें से क्षय रोग का उन्मूलन करने के लिए बनाई गई योजना की रूपरेखा क्या है और इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के विस्थापितों के उच्चायुक्त ने क्या सहायता दी है ?